exemption given in the Act to the firms in respect of which provisions of part-II of the Cinemetograph Act, 1952 applies may be withdrawn and the reference Indecent representation of women' be changed to 'derogatory representation of women'.

The Department of Women and Child Development is in the process of consultation with concerned Ministries/ Departments of the Government of India and the State Governments on the amendments suggested by the NCW in the above four Acts.

*The Domestic Violence to Women (Prevention) Bill, 1994:*

The Commission proposed enactment 'The Domestic Violence (Prevention) Bill' during December, 1994. The Bill gives a wide definition to domestic violence by bringing into its purview all types of violence against women committed by her husband, his or her relatives thereby bringing about a consequential amendment to the Indian Penal Code, by inserting a new Section 498-B. The Bill seeks to protect the women against all types of domestic violence.

Since the Bill relates to provisions in the Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure and Indian Evidence Act, the State Governments/Union Territory Administrations have been advised to examine the provisions of the Bill and convey their comments for the enactment of the Bill.

In addition to the above, the National Commission for Women has proposed amendments/enactments of women related Legislations, which have been taken up with the concerned Ministries/ Departments.

*Amendment of Existing Legislations:*

1. Medical Termination of Pregnancy Act, 1971
2. Child Marriage Restraint Act, 1929
3. Family Courts Act, 1984
4. Foreign Marriage Act, 1969
5. Guardian and Wards Act, 1869
6. Indian Succession Act, 1925
7. The Married Women's Right to Property Act, 1874
8. Hindu Marriage Act, 1955

*Enactment of New Legislations:*

1. Legislation on compulsory registration of marriage in India
2. The Orphan and Destitute Children (Adoption) Bill
3. The Criminal Laws (Amendment) Ordinance, 1996
4. The Criminal Laws (Amendment) Bill, 1994
5. The Marriage Bill, 1994

**UNICEF Report oo Female Literacy**

574. SHRI AKHILESH DAS:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether according to the UNICEF Report "State of the World's Children 1999" Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, West Bengal and Andhra Pradesh are amongst the States named as States with a high number of districts where female literacy rates are less than 30% with 75% of children of Schools; •and

(b) if so, whether Government have any schemes or an action plan for promoting and boosting up female literacy in these and primary education and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) and (b) No, Sir. However, the main strategies adopted by the Government of India for increasing female literacy in the country include: National Literacy Mission for imparting functional literacy, Universalisation of Elementary Education and

Non-Formal Education. The proposal for Ninth Five Year Plan envisages intensification of efforts towards Universalisation of Elementary Education with a focus on the needs of backward areas and disadvantaged group of girls. In addition several State Governments are providing special incentives like free uniform, free text books etc.

**इटावा नगर स्थित अनमोल संग्रहालय की स्थिति**

575. **श्री ईश दत्त यादव** :

**प्रो. रामगोपाल यादव :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में स्थित बहुमूल्य संग्रहालय (अनमोल संग्रहालय ) विनाश के कगार पर है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं,

(ग) क्या उक्त संग्रहालय के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए सरकार का कोई कारगर कदम उठाने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और सरकार संग्रहालय के कुप्रंबध के लिए जिम्मेवार अधिकारियों/ कर्चचारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है तथा ऐसी कार्रवाई कब तक की जाएगी ?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) :** (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**स्कूल अध्यापकों का प्रशिक्षण**

575. **श्री राम शंकर कौशिक** :

**श्री रामगोपाल यादव** :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) उत्तर-भारत और पूर्वोत्तर-भारत में राज्य-वार उन अध्यपकों की संख्या कितनी है जिन्हें शिक्षण प्रणलियों का ज्ञान नहीं है तथा उनका ग्रेड और उनके विद्यालयों का स्तर क्या है,

(ख) क्या सरकार विद्यालय शिक्षा हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्तमान प्रणाली में व्यापक एंव ठोस संशोधन करने का विचार रखती है, और

(ग) यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है और सरकार किस प्रकार से विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का विचार रखती है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) :** (क) संभावित शिक्षकों को शुरू-शुरू में सेवा-पूर्व प्रशिक्षण काग्रक्रमों में शिक्षण विधियों की जानकारी प्रदान की जाती है । उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न उत्तरी और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशिक्षित शिक्षकों के प्रतिशत को दर्शानें वाला विवरण संलग्र हैं । (नीचे देखिए)

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनाए गए भर्ती नियमों के अनुसार स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है । अधिकांश राज्यों ने प्राथमिक, स्कूल शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में दाखिला हेतु 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्ति को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित किया है ।

(ख) और (ग) शिक्षक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए 1987 में शिक्षक शिक्षा के पुनगर्ठन तथा पुर्नयोजना की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई । प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों को गुणपरक सेवा-पूर्व एंव सेवा कालीन शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस योजना के तहत देश में 448 जिला शिक्षा और प्रशक्षिण संस्थान स्थापित किए गए हैं । देश में शिक्षक शिक्षा के सुनियोजित और समन्वित विकास के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा 1995 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.एस.टी.ई.) की स्थापना की गई । परिषद ने प्राथमिक-पूर्व प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरीय शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए तथा पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा पद्धति से बी.एड. के लिए मानदंड और मानक निर्धारित किए हैं । पूर्वोत्तर में अप्रशिक्षित बकाया शिक्षकों को ध्यान में रखकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.आर.ई.टी.) ने इस क्षेत्र के अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए दूसरा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.ई.) विकसित किया है ।